



INDIA NON JUDICIAL

IN-UP43752367398281W


SAPNA YADAV, Lic No. 987

ACC Code - UP14771204

Mob. No. - 8562918988

Tehsil & District SADAR, Prayagraj

Certificate No.	: IN-UP43752367398281W
Certificate Issued Date	: 07-May-2024 10:50 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14771204/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1477120483709008855268W
Purchased by	: RADHEY MOHAN SRIVASTAVA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: RADHEY MOHAN SRIVASTAVA
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: RADHEY MOHAN SRIVASTAVA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line

यह कि हम श्रीमती ऋचा दुबे पत्नी श्यामदत्त दुबे निवासिनी ग्राम हरिपुर बरसठी, तहसील मडियाहूं जिला जैनपुर अस्थायी पता उपरोक्त व्यवसाय गृहणी मो०नं०9452864649 प्रथम पक्ष/विकेता एवं राधे मोहन श्रीवास्तव पुत्र स्व०सीताराम श्रीवास्तव ग्राम व पोष्ट-मजेहरा कला, थाना-चील्ह, जिला-मीरजापुर द्वितीय पक्ष/केता है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष मालिक कामिल व काबिज एक किता भूमि आराजी नं० ४६९ रकबा ०.१२६० हेठो व आराजी नं०४५२ रकबा ०.१३६० हेठो दो गाटा मे कुल रकबा ०.२६५० हेठोमे से रकबा २४०५ वर्गफीट यानी २२३.५१३ वर्गमीटर वाके मौज बसही, टप्पा ८४ परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर की है।

विदित हो कि उक्त भूखण्ड प्रथम पक्ष के कब्जे एवं दखल मालिकाना में मौजूद चला आ रहा है तथा उक्त भूखण्ड में प्रथम पक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा जो हर प्रकार के विवादों जैसे रेहन, विक्रय, दान, कुर्कुड़िकी जमानत, मुकदमा, बैंक व वित्तीय संस्थानों के ऋण आदि से पूर्णतया मुक्त है तथा प्रथम पक्ष को उक्त भूखण्ड के विक्रय आदि के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

द्वया द्वे



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

विदित हो कि प्रथम पक्ष -विकेता उक्त भूखण्ड को जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय अनुबन्ध विलेख के अन्त में दिया गया है, को कीमत मु०९५०००००रुपया (पन्द्रह लाख रुपया) मात्र मेरा राधे मोहन श्रीवास्तव पुत्र स्व०सीताराम श्रीवास्तव ग्राम व पोष्ट-मुजेहरा कला, थाना-चील्ह, जिला-मीरजापुर मो००८०७४५५९१६२९४ द्वितीय पक्ष/केता के हक में स्वेच्छया विक्रय करना चाहती है तथा द्वितीय पक्ष/केता भी उक्त भूखण्ड प्रथम पक्ष से क्रय करना चाहता है। अतः हम दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते हैं-

१-यह कि कुल कीमत मु०९५०००००रुपया (पन्द्रह लाख रुपया) मात्र मेरे से मु०५०००/-रुपये पांच हजार रुपये जरिये चेक सख्ता २१४५०३-----दिनांकित १८.०८.२०२४ को प्राप्त कर लिया है। शेष अनुबन्धित विक्रय धनराशि मु०९४६५०००/-रुपया (चौदह लाख पंचानवे हजार रुपया) मात्र विक्रय विलेख रजिस्ट्री के पूर्व प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त होगा।

२-यह कि द्वितीय पक्ष/केता आज की तिथि से अन्दर मुद्रदत ६० (नब्बे दिन) के अन्दर उक्त भूखण्ड का बैनामा अपने पक्ष में प्रथम पक्ष/विकेता से निष्पादित करा लेगा।

३-यह कि खर्चा रजिस्ट्री बैनामा जैसे स्टाम्प, फीस रजिस्ट्री व आवासीय भूखण्ड से सम्बन्धित अन्य समस्त कर आदि जिस्मे द्वितीय पक्ष होगा।

४-यह कि उक्त मियाद के अन्दर प्रथम पक्ष शेष कीमत द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख बहक द्वितीय पक्ष निष्पादित करके रजिस्ट्री कर देगी। अगर प्रथम पक्ष उक्त मियाद के अन्दर उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख द्वितीय पक्ष के हक में तहरीर व तकमील करके रजिस्ट्री न कराये या कोई हीला हवाली करे तो ऐसी सूरत में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि जरिये अदालत प्रथम पक्ष से उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कराकर अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा लेवे। ऐसी हालत में खर्चा मुकदमा जिस्मे प्रथम पक्ष होगा।

५-यह कि इस अनुबन्ध विलेख द्वारा प्रथम पक्ष विकेता द्वारा उक्त भूखण्ड का कब्जा द्वितीय पक्ष/केता को हस्तानान्तरित नहीं किया जा रहा है, कब्जा व मालिकाना हक बवक्त रजिस्ट्री बैनामा बिल्कुल पाक साफ हालत में उक्त भूखण्ड पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को करा दिया जायेगा।

६-यह कि यदि द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त भूखण्ड क्रय नहीं किया जाता या इन्कार किया जाता है तो यह अनुबन्ध-पत्र उक्त ६० दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात शून्य हो जायेगा तथा दोनों पक्ष अपने दायित्व से उन्मुक्त होंगे।

७-यह कि यदि उक्त ६० दिन की अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्ष सहमत हों तो नये अनुबन्ध पत्र के माध्यम से उक्त ६० दिन की अवधि को आपसी सहमति के अनुसार बढ़ा सकेंगे।

८-यह कि इस विक्रय अनुबन्ध विलेख की पाबन्दी उभय पक्ष व उत्तराधिकारी उभय पक्ष पर रहेगी।





मृच्या दुबे


अतः यह दस्तावेज़ / विक्रय अनुबन्ध विलेख हम उभय पक्षों ने समक्ष गवाहान अपनी खुशी व रजामंदी से बिना किसी अनुचित दबाव के पूरे होश हवास में खूब सोच समझ कर निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और बवक्त जस्तरत काम आवे।

विवरण सम्पत्ति

मौजा वसही टप्पा चौरासी, परगना कंतित, तहसील सदर जिला मीरजापुर के आराजी नं० ४६९ रकबा ०.१२६० है० व आराजी नं०४५२ रकबा ०.१३६० है० दो गाटा मे कुल रकबा ०.२६५० है०मे से रकबा २४०५ वर्गफीट यानी २२३.५९३ वर्गमीटर (दो हजार चार सौ पांच वर्गफीट यानी दो सौ तेइस दसमलव पांच एक तीन वर्गमीटर) केता को विक्रय हेतु अनुबन्धित किया जा रहा है।


नक्सा व नजरी

विवरण विक्रय हेतु अनुबन्धित आराजियात स्थित-मोजा वसही टप्पा चौरासी परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर



पैमाइस पूरब पश्चिम ७४फीट उत्तर दक्षिण ३२ फीट ५ इंच कुल क्षेत्रफल २४०५ वर्गफीट यानी २२३.५९३ वर्गमीटर


प्रथम पक्ष/केता

 १५/०५/२०२४

राधे मोहन श्रीवास्तव

नाम/हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष/विक्रेता



ऋचा दूबे

नाम/हस्ताक्षर

गवाह नं०-१ श्रीजल्लाल युवा, B-२४० नड़ौ उत्तरास मालेनी रस्ताकड़ प्रगांगराज

गवाह नं०-२ Uma Shanker Pandey १० Ram Gopal Pandey
R/o १५१/८१ Maitree Apartment Tatyashakti
Panchayat, 15-5-2024



This document has been presented before me on.....
The executants are identified by

Sri.....
who have accepted the contents
Avedence this documents is attested.

P. K. Dwivedi
NOTARY
Govt of India
15-5-2024

IDENTIFIED
S. K. Dwivedi
MAY 2024
PRAYAGRAJ

15-5-2024